कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मांग संख्या 91

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2321.70	86.13	2407.83	2923.03	79.18	3002.21	2650.14	73.72	2723.86	2711.53	73.70	2785.23
वसूलियां	-2.85	...	-2.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	2318.85	86.13	2404.98	2923.03	79.18	3002.21	2650.14	73.72	2723.86	2711.53	73.70	2785.23
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	214.53	80.62	295.15	199.50	76.68	276.18	189.18	73.68	262.86	206.70	73.53	280.23
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
2. वास्तविक वसूली	-2.85	...	-2.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
कार्य एवं कौशल विकास												
3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना												
3.01 कौशल विकास	1894.02	...	1894.02	1590.50	...	1590.50	1707.00	...	1707.00	1600.00	...	1600.00
3.02 प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन	47.60	...	47.60	73.02	...	73.02	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00
3.03 उद्यमिता विकास	24.96	...	24.96	39.01	...	39.01	12.00	...	12.00	50.00	...	50.00
3.04 संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	115.34	...	115.34	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00	96.00	...	96.00
3.05 कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	8.65	...	8.65	15.00	2.50	17.50	7.96	0.04	8.00	11.83	0.17	12.00
3.06 विनियामक संस्थानों को सहायता	16.60	...	16.60	20.00	...	20.00	11.00	...	11.00	16.00	...	16.00
3.07 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता	...	...	...	500.00	...	500.00	185.00	...	185.00	271.00	...	271.00
3.08 औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण	...	...	...	400.00	...	400.00	332.00	...	332.00	340.00	...	340.00
3.09 शिक्षुता और प्रशिक्षण	...	5.51	5.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	*2107.17*	*5.51*	*2112.68*	*2723.53*	*2.50*	*2726.03*	*2460.96*	*0.04*	*2461.00*	*2504.83*	*0.17*	*2505.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	***2318.85***	***86.13***	***2404.98***	***2923.03***	***79.18***	***3002.21***	***2650.14***	***73.72***	***2723.86***	***2711.53***	***73.70***	***2785.23***
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	80.62	80.62	...	76.68	76.68	...	73.68	73.68	...	73.53	73.53
जोड़-सामान्य सेवाएं	**...**	**80.62**	**80.62**	**...**	**76.68**	**76.68**	**...**	**73.68**	**73.68**	**...**	**73.53**	**73.53**
सामाजिक सेवाएं												
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1725.62	...	1725.62	1632.13	...	1632.13	1605.87	...	1605.87	1569.64	...	1569.64
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	214.52	...	214.52	199.50	...	199.50	189.18	...	189.18	206.70	...	206.70
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	5.51	5.51	...	2.50	2.50	...	0.04	0.04	...	0.17	0.17
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**1940.14**	**5.51**	**1945.65**	**1831.63**	**2.50**	**1834.13**	**1795.05**	**0.04**	**1795.09**	**1776.34**	**0.17**	**1776.51**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	270.30	...	270.30	244.80	...	244.80	248.70	...	248.70
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	370.78	...	370.78	791.50	...	791.50	596.37	...	596.37	666.89	...	666.89
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	7.93	...	7.93	29.60	...	29.60	13.92	...	13.92	19.60	...	19.60
8. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**378.71**	**...**	**378.71**	**1091.40**	**...**	**1091.40**	**855.09**	**...**	**855.09**	**935.19**	**...**	**935.19**
कुल जोड़	**2318.85**	**86.13**	**2404.98**	**2923.03**	**79.18**	**3002.21**	**2650.14**	**73.72**	**2723.86**	**2711.53**	**73.70**	**2785.23**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** सचिवालय:- यह मंत्रालय के सचिवालय, एमएसडीई के प्रधान लेखा कार्यालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के लिए व्यय प्रदान करता है।

3.01. **कौशल विकास:** कौशल विकास:- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को 2015-16 के बाद से अल्प अवधि के कौशल प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। दो संस्करण,पीएमकेवीवाई(1.0) और पीएमकेवीवाई(2.0) सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा चुके हैं। नई उन्नत योजना पीएमकेवीवाई(3.0) को 948.90 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 2020-21 के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी दी गई है। जन शिक्षण संस्थान की उप योजना के तहत एनजीओ को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

3.02. **प्रशिक्षुता को प्रोत्साहन:** शिक्षुता का संवर्धन: - इस योजना का उद्देश्य शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुपालन में, उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके उद्योग में प्रशिक्षुओं को नौकरी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है।

3.03. **उद्यमिता विकास:** उद्यमशीलता का विकास: - इस योजना का उद्देश्य उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण, सलाह और उद्यमशीलता ईकोसिस्टमके विभिन्न घटकों के माध्यम से उदयामता विकास के लिए अनुकुल पारिधिनकी तंत्र, सृजन करना है के लिए आसान पहुंच बनाना है, जिसमें संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट, इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर, सूचना मंच और अनुसंधान शामिल हैं।

3.04. **संस्थागत प्रशिक्षण की अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** संस्थागत प्रशिक्षण (एसआईआईटी) के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना: - संस्थागत प्रशिक्षण (एसआईआईटी) के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना योजना एक समग्र योजना है जिसमें (i)पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास को बढ़ाना देना, (ii) 10 राज्यों के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित(एलडबल्यूई) जिलों में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वामपंथ उग्रवाद प्रभावित47 जिलों के लिए कौशल विकास, (iii) आईटीआईका मॉडलआईटीआईमें उन्नयन करने के लिए मौजूदा आई.टी.आई का मॉडलआई.टी.आई.में उन्नयन करना और (iv) पॉलिटेक्निक की स्कीम शामिल है।

3.05. **कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण:** कौशल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण: - बजट प्रावधानों में (i) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत पाठ्यक्रमों के लिए निर्देशात्मक मीडिया पैकेज (आईएमपी) के विकास के लिए राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमि), (ii) स्टाफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करने,अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई) को अनुदान और 3 भारतीय कौशल संस्थानों (आईआईएस) की स्थापना के लिए व्यय करने का प्रावधान शामिल है।

3.06. **विनियामक संस्थानों को सहायता:** नियामक संस्थाओं को सहायता:- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) मंत्रालय के तहत एकमात्र नियामक संस्थान है। एनसीवीईटीके मुख्य कार्य मान्यता प्राप्त निकायों, आकलन निकायों, अवार्डिंगनिकायों और क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विकसित अर्हताओं को अनुमोदित करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन करना है।

3.07. **आजीविका संवर्धन के लिए कौशल प्राप्ति तथा ज्ञान जागरूकता:** आजीविकासंवर्धन के लिएकौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता: - विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों और आकलनकर्ताओं का एक समूह बनाना, राज्य स्तर में सभी कौशल गतिविधियों के बीच अभिसरण बनाना कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापन करना है।

3.08. **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण:** औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण: - विश्व बैंक सहायता प्राप्त इस परियोजना का उद्देश्य लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी की चुनौती का सामना करने के लिए उद्योग समूहों/भौगोलिक क्षेत्र के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना है। इस परियोजना का उद्देश्य आईटीआई की वितरण गुणवत्ता को एकीकृत करना और उसे बढ़ाना भी है।